'पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी कोष' स्कीम

पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता स्कीम संबंधी परिचालानात्मक दिशा-निर्देश (दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2026 तक)

1. पृष्ठभूमि:

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में वर्ष 2014-15 से आईएफसीआई उद्यम पूंजी निधि लि. के अंतर्गत अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए एक उद्यम पूंजी निधि का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ओबीसी के लिए ऐसी ही निधियों की मांग बढती जा रही है। इसके अलावा, शिक्षा तथा सामाजिक विकास संबंधी सचिव समूह ने पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए एक उद्यम पूंजी निधि की स्थापना करने की सिफारिश की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 22.12.2017 को आयोजित एसएफसी बैठक में एससी से संबंधित उद्यम पूंजी निधि के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग घटक को शामिल करने का निर्णय लिया गया था। पिछड़ा वर्ग उद्यमी हेतु उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-बीसी) संबंधी परिचालानात्मक दिशानिर्देश दिनांक 05.02.2018 को अधिसूचित किए गए थे।

स्कीम का मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्गों में उद्यमिता को बढ़ावा देना और उन्हें रियायती वित्त प्रदान करना है।

2. उप-स्कीम का उद्देश्य:

"उद्यमिता" उन उद्यमियों से संबंधित है जो व्यवसायों का प्रबंधन करते हैं तथा जो नवाचार और विकास प्रौद्योगिकियों की ओर उन्मुख होते हैं। उपर्युक्त निधि की भावना उन उद्यमियों की सहायता करना है जो समाज के लिए दौलत और मूल्य पैदा करेंगे और साथ ही लाभदायक व्यवसाय को बढ़ावा देंगे।

स्कीम के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(क) यह भारत में पिछड़े वर्गों (बीसी) की आबादी के मध्य उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जाने वाली एक सामाजिक क्षेत्र की पहल है।

(ख) उन पिछड़े वर्गों (बीसी) के मध्य उद्यमिता को बढ़ावा देना जो नवाचार और विकास प्रौद्योगिकियों की ओर उन्मुख हैं।

(ग) उन बीसी उद्यमियों को रियायती वित्त प्रदान करना, जो समाज के लिए दौलत और मूल्य पैदा करेंगे और साथ ही लाभदायक व्यवसायों को बढ़ावा देंगे। इस प्रकार सृजित परिसम्पत्तियां आगे/पीछे लिंकेज भी सृजित करेंगी। इससे स्थानीय क्षेत्र में श्रृंखला प्रभाव पैदा हो जाएगा।

(घ) बीसी उद्यमियों के लिए वित्तीय समावेश बढ़ाना और उन्हें बीसी समुदायों के भावी विकास के लिए प्रेरित करना।

(ङ) बीसी उद्यमियों को आर्थिक रूप से विकसित करना।

(च) भारत में बीसी आबादी के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार बढ़ाना।

3. बीसी उद्यमियों की मांग:

ऐसा अनुमान है कि उन कंपनियों के लिए रियायती वित्त प्रदान करने की भारी मांग है जो ऐसे उद्यमियों के व्यवसायों को सुदृढ़ कर सकेंगी।

4. कोष की सांकेतिक विशेषताएं:

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरे
1.	प्रायोजक एजेंसी का नाम	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
2.	स्कीम का आकार	कोष की प्रारंभिक पूंजी 200 करोड़ रूपए थी जिसे वार्षिक रूप से अनुपूरित किया जाना है। आईएफसीआई द्वारा वर्तमान अंशदान और भविष्य में भारत सरकार द्वारा कॉर्पस के लिए बजटीय समर्थन बढ़ाने की पृष्ठभूमि के अंतर्गत इस भारत सरकार के हिस्से के अनुपात में संरेखित किया जाएगा। आईएफसीआई अपने खाता-बहियों में कॉर्पस अंशदान के लिए प्रावधान करेगा। तथापि, वास्तविक रिलीज/वितरण तभी हो सकता है जब कोष से वितरण एक प्रारंभिक सीमा पर पहुंच जाए। यह ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार / आईएफसीआई द्वारा किए गए अंशदान की वजह से बड़े पैमाने पर कॉर्पस कोष उपलब्ध हैं फिर भी प्रारंभिक सीमा 500 करोड़ रूपए होगी अथवा जब कोष से कुल संवितरण 80% अंक तक पहुंच जाए, जो भी अधिक हो।
3.	स्कीम की प्रकृति	केंद्रीय क्षेत्र स्कीम
4.	स्कीम की संरचना	कोष को सेबी के अंतर्गत एआईएफ विनियम, 2012 के अंतर्गत स्थापित और पंजीकृत किया गया है, जिसमें भारत सरकार एंकर निवेशक और आईएफसीआई उद्यम एक प्रायोजक निवेशक के रूप में है।
5.	संपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) / नोडल एजेंसी का नाम	आईएफसीआई उद्यम पूंजी कोष लिमिटेड।
6.	कोष की अवधि	भारत सरकार के अनुमोदन से 2 अतिरिक्त वर्षों के विस्तार के साथ अंतिम क्लोजिंग की तारीख से 14 वर्ष। प्रभावी तिथियां: 31 मार्च, 2039; 31 मार्च, 2041 तक बढ़ाया जा सकता है।
7.ए	कोष के अंतर्गत प्रारंभिक क्लोजिंग	1 अक्तूबर, 2019, न्यूनतम 20 करोड़ रूपए के कोष के साथ।
7.ख.	कोष के अंतर्गत अंतिम क्लोजिंग	31 मार्च, 2025
8.	आहरण अवधि:	निधियों के कोष के लिए पूंजी अंशदान को 31 मार्च, 2026 तक निकाला जा सकता है
9.	निवेश अवधि	31 मार्च, 2026

10.	स्कीम में शामिल लागत	एएमसी के लिए प्रबंधन शुल्क : प्रबंधन शुल्क 1.5% की दर से प्रति वर्ष प्रतिबद्धता अवधि के दौरान कुल पूंजी प्रतिबद्धता (आहरण अवधि तक) और उसके बाद प्रबंधन शुल्क बकाया पूंजी अंशदान का 0.5% की दर से प्रति वर्ष होगा। इकाइयों की सफलता के लिए शुल्क ढांचा के लिंकेज और निधियों के वितरण को मार्च, 2024 तक टाल दिया गया है। इस अवधि के दौरान मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि उत्पादन (जैसा कि अनुबंध-III में उल्लेख किया गया है) प्राप्त किया जाए। मंत्रालय वित्त वर्ष 2020-21 तक कोष में से उपलब्ध शेष राशि के वितरण का आकलन करेगा और अप्रैल, 2024 में वित्त वर्ष 2023-24 तक उपलब्ध अतिरिक्त कोष को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को अग्रेषित करेगा। वीसीएफ-बीसी कोष की सफलता का आकलन भी किया जाएगा।
11	कोष के निवेशकों के लिए रिटर्न	• भारत सरकार के अलावा अन्य निवेशकों से अंशदान प्राप्त करने के लिए कोष में दो प्रकार की निवेश योग्य इकाइयाँ जारी की जाएंगी अर्थात वर्ग क इकाइयां और वर्ग ख इकाइयां। • भारत सरकार तथा प्रायोजक निवेशक को वर्ग क इकाई आवंटित की जाएगी। • इकाई श्रेणी क को इकाइयों को मोचन तथा रिटर्न के भुगतान में भी श्रेणी ख इकाइयों की तुलना में प्राथमिकता प्राप्त होगी। • श्रेणी क को बीसी के लिए 8% प्रति वर्ष रिटर्न की बाधा दर मिलेगी अवशेषी नकद प्रवाह श्रेणी ख इकाइयों को मिलेगा।
12.	बदलाव	भारत सरकार के किसी भी सुझाव पर, सेबी की आवश्यकताएं, कानूनी और कर संबंधी मुद्दे आदि। उपर्युक्त शर्तें, नियम/संरचना भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, समय-समय पर आशोधित/संशोधित हो सकते हैं।

5. सांकेतिक कार्यान्वयन अवधि और संचालन का क्षेत्र:

पिछड़ा वर्ग के लिए उद्यम पूंजी कोष वर्ष 2017-18 से पूरे देश में कार्यान्वित किया गया है।

6. स्कीम की सांकेतिक संरचना

पात्रता मानदंड :

कोष के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार है:

- स्टार्टअप सहित विनिर्माण, सेवाओं और संबद्ध क्षेत्र में स्थापित की जा रही परियोजनाओं/इकाइयों, जो इकाई में निवेशित धन से परिसंपत्ति निर्माण सुनिश्चित करती है, पर विचार किया जाएगा।

- इस कोष के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों में कम से कम 30% अधिमानतः महिला उद्यमी होनी चाहिए;

- **50 लाख रूपए तक की सहायता हेतु आवेदन करने वाली कंपनियां:** कंपनियां जिनके पास:

  (क) पिछले 6 महीनों के लिए प्रबंधन नियंत्रण के साथ-साथ पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के पास कम से कम 51% शेयरधारिता हो, अथवा

  (ख) बशर्ते कि नई कंपनी एक मालिकाना फर्म या भागीदारी फर्म या एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) या सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत निगम अधिष्ठान, जो स्वस्थ्य व्यवसाय मॉडल वाला हो और विगत 6 महीने से अधिक समय से चल रहा हो, और पूर्ववर्ती इकाई के पास प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुसूचित जातियों के संवर्धकों की कम से कम 51% हिस्सेदारी रही हो।

- **50 लाख रूपए से ऊपर की सहायता के लिए आवेदन करने वाली कंपनियां:** कंपनियां जिनके पास:

  (क) पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों द्वारा विगत 12 महीनों से प्रबंधन नियंत्रण सहित कम से कम 51% हिस्सेदारी रखी गई हो अथवा;

  (ख) बशर्ते कि नई कंपनी एक मालिकाना फर्म या भागीदारी फर्म या एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) या सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत निगमित अधिष्ठान, जो स्वस्थ्य व्यवसाय मॉडल वाला हो और विगत 12 महीने से अधिक समय से चल रहा हो, और पूर्ववर्ती इकाई के पास प्रबंधन नियंत्रण के साथ पिछड़ा वर्ग के संवर्धकों की कम से कम 51% हिस्सेदारी रही हो।

- प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उद्यमी द्वारा बीसी होने के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। इंक्यूबेशन सेंटर्स/ कॉर्पोरेट्स से दस्तावेजी सबूत/प्रमाण पत्र अथवा बीसी उद्यमी के नाम से पेटेंट/कॉपीराइट के दस्तावेज प्रस्ताव जमा करते समय जमा कराने होंगे। भारत सरकार के विभाग का स्वीकृति पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। ई-दस्तावेज भी स्वीकार किए जाएंगे।

- 5 करोड़ रूपए से अधिक की मंजूरी सहायता वाली कंपनियों के लिए, जहां बैंक/वित्तीय संस्था की मंजूरी है, वहां ट्रस्ट/निधि प्रबंधक द्वारा जारी की गई राशि बैंक/वित्तीय संस्था/भारत सरकार के विभाग द्वारा जारी ऋण किश्त के अनुपात में होगी।

स्कीम विवरण (सांकेतिक) :

वित्तीय सहायता स्कीम का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरे
1.	उप-स्कीम का उद्देश्य	बीसी उद्यमियों को रियायती वित्त प्रदान करना। महिला/दिव्यांग बीसी उद्यमियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
2.	निवेश ध्यान केंद्रित	स्टार्टअप सहित विनिर्माण, सेवाओं और संबद्ध क्षेत्र में स्थापित की जा रही परियोजनाओं/इकाइयों में निवेश, इकाई में निवेशित निधियों से परिसंपत्ति निर्माण सुनिश्चित करने वाली

		इकाई पर विचार किया जाएगा।
3.	वित्तीय सहायता की प्रकृति	(क) शेयरों (सीसीपीएस) (कॉर्पस का अधिकतम 25% तक) का निम्नलिखित के अध्यधीन निवेश किया जा सकता है: यह निवेश पात्रता मानदंडों में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाले नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी के प्रति उन्मुखी परियोजनाओं/स्टार्टअप के लिए ही सीमित होगा। 5 करोड़ रुपए के अधिकतम निवेश के अध्यधीन किसी कंपनी में अधिकतम इक्विटी निवेश 49% हो सकता है, यह निवेश प्रवृत कानूनों के अध्यधीन प्रत्येक कंपनी में शेयरों के अंकित मूल्य पर होगा। इस कोष के अंतर्गत प्रत्येक निवेश, न्यूनतम 25% निवेश ऋण-पत्रों के रूप में होगा। (ख) अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (सीसीडी), वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी), गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी), आदि। ये लिखतें उन सभी कंपनियों के लिए स्वीकार्य होंगी जो के उपर्युक्त श्रेणी क अंतर्गत नहीं आती हैं। (ग) कुल वित्तीय सहायता में से अधिकतम 20% तक वित्तीय सहायता अगले 10 वर्षों में कंपनी द्वारा अपेक्षित कार्यशील पूंजी अंतराल निधीयन हेतु चिन्हित की जानी चाहिए। ऐसी सहायता पुनरावर्ती किस्म की नहीं होनी चाहिए। ऐसी सहायता की प्रमात्रा को निदेश समिति द्वारा, मामला-दर-मामला आधार पर, परियोजना की अपेक्षा के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा। ऐसी सहायता निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन निधि के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को भी प्रदान की जा सकती है: i. खाता मानक होना चाहिए। ii. लाभार्थी कंपनी को कार्यशील पूंजी सहायता के लिए राष्ट्रीयकृत/निजी/सहकारी बैंकों में आवेदन करना चाहिए तथा मंजूर सहायता परियोजना नगद प्रवाह अनुमानों की अपेक्षा की तुलना में या तो कम हो अथवा ऐसे बैंकों ने व्यवहार्यता के अलावा किसी अन्य आधार पर सहायता से इनकार कर दिया हो। यह सहायता कोष के समग्र निधीयन पद्धति के भीतर होगी।
4.	वित्तीय सहायता की अवधि	ऋणपत्र के मामले में अधिस्थगन अवधि सहित 10 वर्ष तक। इक्विटी के मामले में, बर्हिगमन का निर्णय, मामला-दर-मामला आधार पर, अधिकतम 10 वर्ष तक के कार्यकाल के साथ लिया जाएगा।

5.	मूलधन पर ऋणस्थगन	ऋणपत्र के मामले में, मामला दर मामला आधार पर, लेकिन निवेश की तारीख से 36 महीने से अधिक नहीं। ब्याज का भुगतान कंपनी में निवेश की तारीख से निवेश समिति द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल पर शुरू होगा।
6.	निवेश आकार	20 लाख रूपए से 15 करोड़ रूपए। कुल सहायता कंपनी की वर्तमान निवल संपत्ति के दो गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7.	निवेश के माध्यम से अपेक्षित रिटर्न	(क) इक्विटी निवेश में - बायबैक/कार्यनीतिक निवेश/आईपीओ के माध्यम से बर्हिगमन के समय रिटर्न 8% प्रति वर्ष अथवा मूल्यांकन के अनुसार जो भी अधिक हो। (ख) ऋण/परिवर्तनीय लिखतों में - 8% प्रति वर्ष (महिलाओं*/दिव्यांग** बीसी उद्यमियों के लिए - 7.75% प्रति वर्ष) [* बीसी महिला/महिला उद्यमी (ओं) के स्वामित्व वाली कंपनी पर विचार करने के लिए, बीसी महिला/महिला उद्यमी (ओं) के पास कंपनी में कम से कम 51% शेयरधारिता होनी चाहिए और कंपनी का प्रबंध निदेशक होनी चाहिए। ;**दिव्यांग बीसी उद्यमियों के मामले में, दिव्यांग के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए दिव्यांग व्यक्ति अधिकारिता विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।]
8.	निधीयन पद्धति	कोष के अंतर्गत निवेश निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा: • **5 करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता** - इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश परियोजना लागत के अधिकतम 75% तक और शेष 25% परियोजना लागत का वित्त पोषण संवर्धकों द्वारा अथवा केंद्र अथवा राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी / अनुदान के माध्यम से किया जाएगा। उन मामलों में जहां सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है, संवर्धकों को परियोजना लागत का कम से कम 15% अंशदान देना होगा। • **5 करोड़ रूपए से अधिक की वित्तीय सहायता।** - इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश परियोजना लागत का अधिकतम 50% तक वित्त पोषण किया जाएगा। परियोजना लागत का कम से कम 25% केंद्र अथवा राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत संवर्धकों द्वारा अथवा सरकारी सब्सिडी / अनुदान के माध्यम से वित्त पोषण किया जाएगा, और परियोजना लागत का शेष 25% संवर्धकों द्वारा अथवा बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था द्वारा वित्त पोषण किया जा सकता है। उन मामलों में जहां सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है, संवर्धकों को परियोजना लागत का कम से कम 15% अंशदान देना होगा। * भविष्य में प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के विस्तार चरण के

		दौरान निजी क्षेत्र के वीसी निधियों द्वारा सह-निवेश के तालमेल की तलाश जा सकती है।
9.	बर्हिगमन तंत्र	परिचालन से बाहर भुगतान, संवर्धकों / कंपनियों द्वारा बायबैक / रिडेम्पशन, कार्यनीतिक निवेश, स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग अथवा किसी अन्य निकास प्रक्रिया के माध्यम से बर्हिगमन। वित्तीय सहायता की प्रकृति और कंपनी के कार्यप्रदर्शन की प्रकृति पर, निर्भर करते हुए अलग-अलग मामलों के आधार पर, निकासी प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।
10.	सुरक्षा	निवेश के दौरान निम्नलिखित प्रतिभूतियों की परिकल्पना की जा सकती है: • स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषित/सहायता प्राप्त परियोजना की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए शुल्क प्राप्त किया जाएगा। परियोजना की संपत्ति में भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी और लाइसेंस/पेटेंट का अधिकार शामिल होंगे। • मामला दर मामला आधार पर, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास ऋण के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के मामले में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार। • बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित प्रथम प्रभार की अवस्था में निवेश से निर्मित परिसम्पतियों का दूसरा प्रभार। • संवर्धकों द्वारा धारित शेयरों तथा कम-से-कम 26% हिस्सेदारी बनाने तथा जारी गई और भुगतानगत पूंजी के 51% तक के मामले में शपथपत्र लिया जाएगा। • परिसंपत्तियों के प्रभार के अलावा, पूर्व दिनांकित चेक

		(पीडीसी) /इलेक्ट्रॉनिक पारण सेवा (ईसीएस) और वचन पत्र लिए जाएंगे। • बायबैक करार के साथ संवर्धकों की व्यक्तिगत गारंटियों की प्रविष्टि की जाएगी। • यदि परियोजना भूमि के रूप में कोई बंधक उपलब्ध नहीं है तो ऐसी अवस्था में उधारकर्ता संपार्श्विक प्रतिभूतियों की व्यवस्था कर सकता है।
11.	परियोजना को पूरा करने की समय सीमा	(क) स्कीम के अंतर्गत सहायता की पहली किस्त के वितरण की तारीख से अधिकतम 24 महीने की अवधि के अधीन, परिस्कीम के पूरा होने का समय मंजूरी चरण में परिकल्पित होगा, जिसे आगे 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, यदि देरी के कारणों को एएमसी द्वारा उचित माना जाता है। (ख) कार्यान्वयन अनुसूची का अनुपालन न करने की स्थिति में, स्वीकृत राशि का अतिरिक्त शेष संवितरण निवेश समिति द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा।
12.	चयन प्रक्रिया	• स्कीम के अंतर्गत कोई भी प्रस्ताव दो समितियों और चार चरणों से होकर गुजरेगा: (क) **अनुवीक्षण समिति (प्रारंभिक चरण):** यह देखने के लिए कि क्या प्रस्ताव अनुबंध-II में उल्लिखित पात्रता मानदंड और प्रारंभिक मूल्यांकन मानकों को पूरा कर रहे हैं प्रारंभिक विश्लेषण के लिए प्रस्तावों को अनुवीक्षण समिति के सामने रखा जाएगा, अनुवीक्षण समिति द्वारा मंजूरी के बाद, विस्तृत मूल्यांकन, बातचीत और संरचना के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। (ख) **निवेश समिति (अंतिम चरण):** i. एएमसी द्वारा तैयार अनुबंध में उल्लिखित के अनुसार विस्तृत प्रस्ताव पर निवेश समिति द्वारा पात्र प्रस्तावों के लिए विचार किया जाएगा। ii. वित्तपोषण करने वाले बैंकरों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूल्यांकित प्रस्ताव भी एएमसी के संदर्भ के लिए अपना मूल्यांकित प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। सहायता की मात्रा इस समिति द्वारा तय की जाएगी। (ग) **कानूनी दस्तावेज़ीकरण चरण:** निवेश समिति द्वारा मंजूरी

		के बाद, निवेश प्राप्त कंपनी को मंजूरी के नियमों और शर्तों के साथ आशय पत्र जारी किया जाएगा। आवश्यक कानूनी दस्तावेज एएमसी द्वारा तैयार और निष्पादित किए जाएंगे। (घ) **संवितरण चरण:** उपर्युक्त प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, संवितरण मंजूरी के नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा। यदि लाभार्थी चाहे तो निवेशिती कंपनियों को संवितरण एक लॉट में की जाएगी। इसके अलावा, निधि सीधे लाभार्थी के खाते में जारी किया जाएगा, और कार्यान्वयन एजेंसी (आईएफसीआई) का प्रचालनात्मक मामलों जैसे विक्रेताओं के चयन आदि से कोई लेना-देना नहीं होगा। प्राप्त प्रस्तावों का विश्लेषण करने के लिए अनुवीक्षण समिति की बैठक मासिक/नियमित आधार पर होगी।
13.	अनुवीक्षण/ निवेश समिति	• एनबीसीएफडीसी के एमडी क्रमश/ वीसीएफ-बीसी कोष में निवेश समिति के सदस्य होंगे। • एनबीसीएफडीसी के एमडी (जीएम के स्तर पर) के नामित व्यक्ति वीसीएफ-बीसी कोष में स्क्रीनिंग कमेटी में प्रतिनिधि होंगे। • बाहर से पर्याप्त अनुभव रखने वाला एक विशेषज्ञ सरकार द्वारा नामित निवेश समिति/स्क्रीनिंग समिति का सदस्य होगा। • स्क्रीनिंग कमेटी में नामित कोई भी प्रतिनिधि निवेश समिति का प्रतिनिधि नहीं होगा।
14.	निगरानी	• एएमसी के अधिकारी द्वारा समय-समय पर दौरा, निरीक्षण किया जाएगा। एएमसी के अधिकारी इन कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक भी होंगे। • स्कीम के कार्यान्वयन और प्रभाव का आकलन करने के लिए आईएफसीआई वेंचर और मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाएगी।
15.	बदलाव	• मामले के आधार पर, उपर्युक्त शर्तों के नियम/संरचना भिन्न हो सकते हैं और समय-समय पर संशोधित/संशोधित हो सकते हैं। • यह स्कीम विभिन्न क्षेत्रों के लिए पूर्ति कर रही है; स्कीम को 6 महीने से 1 वर्ष के बाद संशोधित, समीक्षा की जा सकती है।

7. सौदा स्रोत कार्य नीति:

- प्रस्ताव, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापनों/प्रकाशनों के जरिए आमंत्रित किए जाएंगे।
- अन्य संस्थानों/बैंकों/निवेश बैंकरों/अन्य वीसी;
- राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर अन्य उद्योग एसोसिएशन,
- पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) और पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य राज्य वित्त संस्थाएं भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों की स्कीम।
- व्यापार मेला/प्रदर्शनी/सेमिनार
- आईएफसीआई और अन्य संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित तकनीकी परामर्शदाता संगठन (टीसीओ), जिनका प्राथमिक उद्देश्य नए उद्यमियों को तकनीकी परामर्श देना है, उनको यह सलाह दी जाएगी कि वे अनुसूचित जाति/बीसी के उद्यमियों से प्रस्ताव प्राप्त करें। वे इस निधि को भी लोकप्रिय बनाएंगे और उद्यमियों की मदद करेंगे।
- उद्यमी सीधे ही आवेदन जमा करा सकते हैं।

8. दूरदर्शी बाध्यताएं/अनिश्चिताएं:

क्र.सं.	बाध्यताएं	प्रभाव
1	डील का स्रोत	बीसी के पात्र उद्यमियों का चयन करना एक चुनौती भरा कार्य होगा।
2	निवेश जोखिम	• परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब • निवेशित (इनवेस्टिड) कंपनी द्वारा किसी प्रतिलाभ/मूलधन की अदायगी न करना।
3	बर्हिगमन	जो कंपनियां सूचीबद्ध नहीं हैं उनसे निकासी एक चुनौती होगी।
4	प्रतिभूति का प्रवर्तन	चूक करने के मामले में, बीसी के उद्यमियों की अचल प्रतिभूतियों के प्रवर्तन में कठिनाई होगी।

9. शिकायत निवारण तंत्र:

वीसीएफ-बीसी स्कीम की शिकायतों के संबंध में शिकायत निवारण तंत्र हेतु, एक अंतर मंत्रालयी समिति निम्नानुसार है।

i. निदेशक/उप-सचिव (वीसीएफ-बीसी के प्रभारी), एमओएसजेई विभाग,
ii. सीएमडी, एनएसएफडीसी
iii. निदेशक/उप-सचिव (सर्तकता), एमओएसजेई विभाग,
iv. निदेशक/उप-सचिव (आफएफसीआई के प्रभारी), वित्तीय सेवाएं विभाग
v. प्रमुख/एमडी, आइएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड

यह कार्यान्वित एजेंसी (आईएफसीआई) स्तर पर आंतरिक शिकायत निवारण तेंत्र के बाहर है।

10. अन्य शर्तें:

- आवेदन स्तर से मंजूरी स्तर तक की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी और आईएफसीआई द्वारा समुचित ट्रेकिंग प्रणाली कार्यान्वित की जाएगी।
- आवेदन पत्र के स्तर से मंजूरी स्तर तक (अर्थात निवेश समिति के अंतिम निर्णय तक) किसी निवेश प्रस्ताव की परिपक्वता हेतु अपेक्षित अनुमानित समयावधि इक्विटी प्रस्तावों के लिए लगभग 3-4 महीने होगी और इक्विटी से जुड़े ऋण प्रस्तावों के लिक 2-3 महीने होगी।
- सभी डील की मालसूची का रखरखाव करना।

- जब कभी भी अपेक्षित हो, भारत सरकार को कार्य-निष्पादन/अन्य की रिपोर्टिंग करना।
- इस स्कीम में आवश्यक लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं वार्षिक रूप से अपनाई जाएंगी।
- निगरानी के बाद की गतिविधियों और नियमित अपडेट्स से समितियों/बोर्डों को अवगत कराया जाएगा।
- जीएफआर, 2017 के अनुसार यूसी की प्राप्ति जहां भी लागू हो, निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार होनी चाहिए।

11. **दाण्डिक प्रावधान** :- उद्यमियों द्वारा परियोजनाओं का अनुपालन नहीं करने पर निधियों का गबन करने की अवस्था में विद्यमान ब्याज से 2% अधिक का शास्ति ब्याज भी वसूला जाएगा।।

12. **अनुवीक्षण समिति/निवेश समिति के समक्ष प्रस्तावों के रखे जाने की समय-सीमा:**

अनुवीक्षण समिति विगत माह के अंत तक प्राप्त सभी मामलों की जांच करने के लिए पखवाडा आधार पर बैठक करेगी। यह भी प्रस्तावित है कि निवेश समिति अनुवीक्षण समिति से प्राप्त प्रस्तावों की जांच/सिफारिश करने के लिए मासिक आधार पर बैठक करेगी।

पिछड़ा वर्ग उद्यम पूंजी कोष के प्रबंध निदेशक स्कीम के व्यापक प्रचार हेतु मीडिया योजना बनाएंगे। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कम-से-कम एक तिमाही में दो बार उद्यमियों के साथ नियमित कॉन्फ्रेंस/बैठकें की जाएगी।

****

अनुबंध- I

आईएफसीआई उद्यमपूंजी निधि लिमिटेड

परियोजना विवरण प्रस्तुती प्रारूप

1. परियोजना की मुख्य विशेषताएं: ब्यौरा लिखें।

विवरण	ब्यौरा
कंपनी का नाम	
निगमन की तारीख	
सीआईएन नंबर	
पैन नंबर	
पंजीकृत कार्यालय / कॉर्पोरेट कार्यालय	
निर्माण इकाई/कारखाना स्थान	
प्रस्तावित परियोजना	
प्रस्तावित स्थापित क्षमता	
संवर्धक	
क्षेत्र	
उद्योग	
मौजूदा बैंकर	
लेखा परीक्षक	

2. कंपनी का विवरण

2.1 **पृष्ठभूमि:-** कंपनी की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, अनुभव, उपलब्धियां, आदि

2.2 संवर्धक:- संवर्धकों का विवरण, शैक्षिक पृष्ठभूमि, अनुभव, उपलब्धियां आदि।

2.3 कोई पुरस्कार और प्रमाणन: विवरण लिखें।

2.4 प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति: विवरण लिखें।

2.5 पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

- **आज की तारीख में पूंजी संरचना:** विवरण लिखें।

क. अधिकृत पूंजी	राशि (रूपए में)
10/- रूपए के इक्विटी शेयर-प्रत्येक	
ख. जारी, अभिदान और प्रदत्त पूंजी	
10/- रूपए के इक्विटी शेयर, पूरी तरह से प्रदत्त	

- **आज की तारीख के अनुसार शेयरधारिता पैटर्न :** विवरण लिखें।

शेयरधारक का नाम	शेयर की संख्या	पूंजी की राशि (रु.)	शेयरधारिता (%)
कुल			

नोट: ..... % कंपनी पिछड़ा वर्ग के संवर्धकों के पास है। जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

2.6 संवर्धकों/गारंटरों की निवल संपत्ति का विवरण: विवरण लिखें।

क्र.सं.	नाम	पैन	जन्म तिथि	निवल मूल्य (रूपए में)
1				
2				
	कुल			

नोट: संवर्धकों के नवीनतम सीए प्रमाणित निवल मूल्य प्रमाण पत्र जमा करें

2.7 कंपनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति

- पिछले 3 वर्षों के लिए लाभ और हानि विवरण: विवरण लिखें

लाख रूपए में

विवरण	वित्तीय वर्ष __ (लेखा-परीक्षा)	वित्तीय वर्ष__ (लेखा-परीक्षा)	वित्तीय वर्ष__ (लेखा-परीक्षा)
राजस्व / बिक्री			
व्यय			
अन्य खर्च			
ब्याज भुगतान			
मूल्यह्रास			
पीबीटी			
कर			
पीएटी			

- पिछले 3 वर्षों की बैलेंस शीट: विवरण लिखें।

लाख रूपए में

विवरण	वित्तीय वर्ष__ (लेखा-परीक्षा)	वित्तीय वर्ष__ (लेखा-परीक्षा)	वित्तीय वर्ष__ (लेखा-परीक्षा)
देयताएं			
निधियों के कुल स्रोत			
संपत्तियां			
निधियों का कुल अनुप्रयोग			

2.8 बैंकों की हिस्सेदारी/उधार व्यवस्था: विवरण लिखें।

कंपनी ने ..... से सुविधाओं का लाभ उठाया है। विवरण नीचे दिया गया है:

संस्थान/बैंकों का नाम	सुविधा (साल)	राशि सं. (रूपए लाख में)	ब्याज दर (%)	संवितरित राशि (लाख रूपए में)	ओ / एस ऋण राशि। आज की तारीख में	बनाई गई सुरक्षा
	कुल					

3. प्रस्तावित परियोजना, स्थान और कार्यान्वयन अनुसूची:

3.1 प्रस्तावित परिस्कीम के बारे में वर्णन लिखें।

3.2 स्थापित क्षमता: वर्णन लिखें।

उत्पादन क्षमता	विवरण
पूर्ण / 100% परिचालन क्षमता	
संचालन क्षमता	

3.3 उत्पाद: उत्पादों के ब्यौरा और विवरण के बारे में लिखें।

3.4 कच्चा माल और उसकी आपूर्ति:

- कच्चे माल के ब्यौरा और विवरण के बारे में लिखें;
- स्थान में कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं की सूची के बारे में लिखें;

3.5 कार्मिकशक्ति : कार्मिकशक्ति की आवश्यकता के विवरण के बारे में लिखें।

3.6 परियोजना स्थान : भूमि दस्तावेज, क्षेत्र आदि सहित भूमि का विवरण जमा करें।

संयोजकता	लगभग दूरी (किमी में)
रेलवे	
एयरपोर्ट	

3.7 उपयोगिताएं: उपयोगिताओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

- बिजली की आवश्यकता और स्रोत: विवरण लिखें।
- पानी की आवश्यकता और स्रोत: विवरण लिखें।

3.8 अनुमतियाँ और अनुमोदन: संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमतियों और अनुमोदनों का विवरण:

3.9 कार्यान्वयन अनुसूची: विवरण लिखें।

गतिविधि	समापन अवधि
भूमि एवं विकास	
भवन निर्माण एवं प्रीफैब शेडिंग कार्य	
मशीन ऑर्डरिंग	
मशीनरी की आपूर्ति	
साइट पर स्थापना/परीक्षण/उत्थान और शुरूआत	
पायलट रन/कच्चे माल की सोर्सिंग	

5. **परियोजना लागत:** विवरण लिखें।

लाख रूपए में

विवरण	परियोजना की लागत	परियोजना में पहले ही खर्च हो चुकी राशि
भूमि / भूमि विकास		
तकनीकी सिविल कार्य (भवन)		
संयंत्र और मशीनरी (प्रतिस्पर्धी इकाई की स्थापना)		
विद्युतीकरण लागत		
फर्नीचर, फिक्स्चर, कंप्यूटर, आदि।		
कोई अन्य लागत (विपणन, आदि)		
कुल निश्चित लागत		
पूर्व-संचालन व्यय		
कार्यशील पूंजी मार्जिन		
निर्माण अवधि के दौरान ब्याज		
परियोजना की कुल लागत		

नोट: उपरोक्त परियोजना लागत प्रारूप निर्माण इकाई प्रस्तावों के लिए है। आप निर्दिष्ट परियोजना के अनुसार प्रारूप बदल सकते हैं। सेवा/किसी अन्य संबद्ध परियोजना के लिए परियोजना विवरण के अनुसार प्रारूप में परिवर्तन किया जा सकता है।

5. **परियोजना लागत वस्तुओं की पूर्ण सूची और विवरण (*उद्धरणों के साथ*):** विवरण लिखें।
6. **वित्त के साधन:** विवरण लिखें।

लाख रूपए में

विवरण	निधि जुटाने की राशि	% शेयरिंग	परियोजना में पहले ही जुटाई राशि
इक्विटी में संवर्धक का योगदान			
वीसीएफ-बीसी के अंतर्गत वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया			
कुल			

5. **बाजार, प्रतिस्पर्धा और उद्योग अवलोकन:** विवरण लिखें।
6. **विपणन कार्यनीति:** विवरण लिखें।
7. **स्वोट विश्लेषण:** विवरण लिखें।
8. **अनुमान (10 वर्षों के लिए) - वित्तीय अनुमानों की *एक्सेल शीट जमा* करें:** विवरण लिखें।
    - **लाभ और हानि विवरण:**
    - **बैलेंस शीट:**
    - **डीएससीआर की गणना:**
5. **जोखिम विश्लेषण:** विवरण लिखें।

6. वित्तीय सहायता के लिए दी जाने वाली सुरक्षा का विवरण: विवरण लिखें

समुचित निष्ठा मॉड्यूल

I. कंपनी के वैधानिक दस्तावेज

(ङ) संगठन चार्ट
(च) कंपनी संविदा (स्वामित्व/किराया/ऋण/परामर्श/वारंटी/आपूर्तिकर्ता/ग्राहक/प्रतिनिधित्व)
(छ) शेयर होल्डिंग पैटर्न
(ज) अनुषंगियों/शाखा कार्यालयों के बारे में जानकारी
(झ) संयुक्त उद्यम, सहयोग, हाई-अप्स
(ञ) एमओए, एओए
(ट) पंजीकरण का प्रमाणपत्र
(ठ) व्यापार शुरू करने का प्रमाण पत्र
(ड) कंपनी का नवीनतम टेलीफोन बिल

II. बाजार और प्रतियोगिता

(क) उत्पाद वर्णन
(ख) तकनीकी
(ग) बाजार/उद्योग विश्लेषण
(घ) प्रतियोगिता विश्लेषण
(ङ) ग्राहकों
(च) विपणन कार्यनीति, वितरण नेटवर्क, बिक्री प्रयासों के 13 संगठन, बिक्री के आंकड़े

III. व्यापार मॉडल और कार्यनीति

(क) लक्ष्य-प्रदर्शन तुलना एवं मूल्यांकन
(ख) कंपनी प्रोफाइल/इतिहास/बिजनेस मॉडल और व्यापार क्षेत्र
(ग) स्त्रोत/क्रय (कच्चा माल), प्रदायक सूचना
(घ) उत्पाद प्रक्रिया, आर एण्ड डी विकास गतिविधि, उप-ठेकेदार
(ङ) निर्यात दर, उद्धृत मुद्रा, मुद्रा जोखिम

IV. प्रबंधन और संगठन

(क) प्रबंधन/बोर्ड प्रोफाइल और पारिश्रमिक/अनुबंध
(ख) निदेशक-बोर्ड प्रोफ़ाइल/संवर्धक की पृष्ठभूमि और पारिश्रमिक/निर्भरता/अनुबंध, संवर्धकों का पैन नंबर, पहचान प्रमाण-पत्र, पिछले 3 वर्षों के लिए संवर्धकों की आईटी रिटर्न।
(ग) मानसिकता / टीम की गतिशीलता
(घ) निगम संबंधित शासन प्रणाली, एमआईएस
(ङ) नियंत्रण, आंतरिक रिपोर्टिंग
(च) परियोजना प्रबंधन, उत्पाद प्रबंधन, कर्मचारियों की भागीदारी (टीक्यूएम/टीपीएम/सीआईपी)
(छ) जोखिम प्रबंधन और शमन योजनाएं / गुणवत्ता मानक
(ज) इक्विटी, कॉर्पोरेट कार्रवाइयां, निष्क्रिय भागीदार

V. वार्षिक रिपोर्टें और वित्तीय डेटा

(क) लेखांकन सॉफ्टवेयर, फ्लोचार्ट, लिक्विडिटी योजना के लिए प्रक्रियाएं, मूल्यह्रास विधि और प्रक्रिया उपकरण
(ख) समूह कंपनियों सहित पिछले 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट
(ग) संपत्ति अनुसूची, मूल्यह्रास अमूर्त संपत्ति
(घ) आईपी अधिकार, लाइसेंस, एनडीए, विवाद
(ङ) संपत्ति के अधिकार, प्रमुख संपत्ति
(च) देनदारों की सूची, ऋण की मात्रा, क्रेडिट रेटिंग
(छ) नकद पूलिंग समझौते
(ज) प्रोद्भवन, पेंशन देनदारियों की सूची
(झ) पी एंड एल- स्टेटमेंट (पुन: उत्पाद, ग्राहक, व्यावसायिक इकाइयां, क्षेत्र)
(ञ) गतिविधि आधारित लागत/प्रबंधन (एबीसी/एम)
(ट) आकस्मिक देयताएं
(ठ) भूमि का पुनर्मूल्यांकन, यदि कोई हो
(ड) सूद अदा किया
(ढ) मूल्यांकन का आधार
(ण) आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

VI. व्यापार योजना की समीक्षा

(क) अनुमानित वित्तीय योजना (पी एंड एल, बैलेंस शीट, कैशफ्लो)
(ख) बिक्री योजना (उत्पाद, बाजार)
(ग) उत्पाद योजना
(घ) एचआर योजना
(ङ) निवेश योजना
(च) लिक्विडिटी योजना
(छ) अन्य, अंतर्निहित धारणाएं
(ज) धन जुटाने और उपयोग के लिए समय सीमा।

VII. कार्यबल और कर्मचारी लाभ

(क) कर्मचारियों और पारिश्रमिक की सूची
(ख) उच्चतम स्तर की कमाई वाले कर्मचारियों की विस्तृत सूची
(ग) कंपनी खातों तक पहुंच वाले कर्मचारियों की सूची
(घ) एचआर अनुबंध
(ङ) कर्मचारी लाभ कार्यक्रम और लागत
(च) पिछले वर्षों के मापदंडों को घटाना

VIII. अन्य

(क) आपूर्तिकर्ता, भागीदार, समझौता ज्ञापन यदि कोई हो, विशेष अधिकार आदि।
(ख) बीमा
(ग) उत्पाद की जिम्मेदारी
(घ) पर्यावरण के मुद्दे/प्रदूषण स्तर
(ङ) अधिकारियों के साथ संचार
(च) महत्वपूर्ण व्यावसायिक विकास
(छ) कानूनी विवाद/आरोप/कंपनी/प्रवर्तकों के खिलाफ आरोप यदि कोई हों
(ज) भूमि पट्टे के कागजात
(झ) चल रहे कानूनी मुकदमों पर उपक्रम, यदि कोई हो या नहीं
(ञ) एक ही तकनीक का उपयोग करने वाले दो लोगों/ग्राहकों के संपर्क संदर्भ
(ट) कोई अन्य जानकारी, यदि कोई हो

IX. लेखा निरीक्षण

5. लेखांकन की प्रणाली (मैन्युअल रूप से, टैली, एसएपी आदि)।
6. स्रोतों और निधियों के उपयोग के लिए सीए प्रमाणपत्र।
7. बैंक विवरण और खातों की पुस्तकों के साथ धन के स्रोत/रसीद की जाँच करें।
8. बैंक विवरण और खाता बही/सीए प्रमाणपत्र के साथ शेयर आवेदन राशि की प्राप्ति।
9. शेयर पूंजी खाते (बहीखाता) मिनट बुक/आरओसी रिटर्न के साथ जांच करने के लिए और शेयर रजिस्टर की जांच करें।
10. ऋण की मंजूरी और संवितरण: संस्था/बैंक के आशय पत्र से और बैंक विवरण/सीए प्रमाणपत्र के साथ संवितरण।
11. बैंक समाधान विवरण।
12. नकद भुगतान प्रणाली की जाँच करें।
13. संवर्धकों से ऋण: सुरक्षित अथवा असुरक्षित।
14. खातों की किताबों में कोई अन्य बड़ी रसीद।
15. भूमि पर व्यय : स्रोत, यदि नकद में अथवा शेयर पूंजी के बदले भुगतान किया जाता है, यदि शेयर पूंजी चाहे शेयर आवंटित हो अथवा अन्यथा।
16. भूमि विकास पर व्यय, भवन, चारदीवारी, सड़क आदि पर व्यय।
17. संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए अग्रिम या पूर्ण भुगतान किया गया।
18. अचल/चल संपत्तियों की खरीद सहित बिलों/चालानों/खरीद आदेशों से सत्यापित करने के लिए 9 से 11 तक के व्यय और खातों की पुस्तकों/बैंक विवरण से सत्यापित करने के लिए भुगतान।
19. अचल संपत्तियां अचल संपत्तियों के लिए प्रविष्टियों को सत्यापित / जांचने के लिए पंजीकरण करें।
20. लेजर, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, सपोर्ट से प्रीऑपरेटिव खर्चों की जांच करें।
21. सभी अचल/चल संपत्ति के लिए बीमा कवर।
22. सभी वैधानिक देय राशि, रिटर्न (3 साल के लिए आयकर, पीएफ, आरओसी, वैट, सेवा कर आदि) की कटौती और भुगतान की जाँच करें (कंपनी से एक प्रमाण पत्र लें)।
23. आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट यदि उपलब्ध हो।
24. 2/3 पिछले वर्षों की बैलेंस शीट, यदि उपलब्ध हो।
25. निदेशक मंडल की नियुक्ति (एमडी, पूर्णकालिक निदेशकों को वेतन/भत्तों के भुगतान के लिए)।
26. आकस्मिक देयताएं, कंपनी द्वारा दी गई गारंटी।
27. कंपनी द्वारा और कंपनी और निदेशक के खिलाफ दायर मुकदमे।

*स्रोतों और निधियों के उपयोग के लिए सीए प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी
**बैंक विवरण और खाता बही से दोहरी जांच क्रॉसचेकिंग

अनुबंध- III

उत्पादन और परिणाम निगरानी विवरण:

पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी कोष (वीसीएफ-बीसी) (सीएस)						
वित्तीय परिव्यय (करोड़ रूपए में)	उत्पादन			परिणाम		
	उत्पादन	संकेतक	लक्ष्य	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य
प्रश्न 1 = प्रश्न 2 = प्रश्न 3 = प्रश्न 4 =	अन्य पिछड़ा वर्गों के उद्यमियों को वित्तीय सहायता	स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित अन्य पिछड़ा वर्गों के उद्यमियों की संख्या		स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों की संख्या	वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के उद्यमियों की संख्या में वृद्धि	उद्यमी। प्रश्न 1 = प्रश्न 2 = प्रश्न 3 = प्रश्न 4 =

अनुबंध- IV

अगले 5 वर्षों के लिए वीसीएफ-बीसी के अंतर्गत अनुमान

वर्ष	5 करोड़ रूपए तक वित्तीय सहायता के साथ सहायता हेतु प्रस्तावित कंपनियों की संख्या:	5 करोड़ रूपए तक वित्तीय सहायता के साथ सहायता हेतु प्रस्तावित कंपनियों की संख्या:
2021-22	10	3
2022-23	10	3
2023-24	10	3
2024-25	10	3
2025-26	10	3